

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

कार्यालय अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर ए एस.

दस्तावेज संख्या - 52/19 ज/053

श्री जेदाबं श्री गंगजी बैरवा गिवासी-माडू तहसील-मांडल [वर्ग]

-प्रार्थी

बनाम

श्री गोपाल चं. उदा तेली गिवासी-माडू तहसील-मांडल [वर्ग]
(सुबहानिक 5/053 साल 5)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 16.4.19

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माडू पटवार हलका माडू तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1827, 1830 कुल कित्ता 02 रकबा 04 बीघा 09 विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.3.19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कच्चे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकरण के आदेश से अधिकार अभिलेख में किरसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किरसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माडू पटवार हलका माडू तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1827, 1830 कुल कित्ता 02 रकबा 04 बीघा 09 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सुहारिया को 300/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारानु की मौजूदगी में मौके व कच्चे की यथार्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फराल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को गेजटकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा